भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4579

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक</u>

4579. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक अपनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जारी लेखकरण मानकों का देश की लेखा आवश्यकताओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन-मानक के साथ समामेलन प्राप्त किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक प्राप्त किए जाने और देश भर की कंपनियों पर लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (घ) : वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2014-15 में घोषणा की थी कि भारतीय कंपनियों द्वारा भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस), जो मुख्यत: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) पर आधारित लेखांकन मानक है, वित्तीय वर्ष 2015-16 से स्वैच्छिक और वित्तीय वर्ष 2016-17 से अनिवार्य रूप से लागू किए जाएंगे। बैंकों, बीमा कंपनियों और एनबीएफसी के लिए इंडएएस के कार्यान्वयन के बारे में उनके संबंधित नियामकों द्वारा बाद में घोषणा की जाएगी। इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

*****